

>

Title: Discussion on the statement laid on the Table of Lok Sabha on August 2, 2011 by the Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Youth Affairs and Sports regarding the Commonwealth Games (CWG), 2010 (Discussion not concluded).

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, the way Shri Suresh Kalmadi became the Chairman of Organising Committee of CWG 2010 was a monumental fraud. We are given to understand by Minister of Youth Affairs and Sports that there was no way out and the decision to make Shri Suresh Kalmadi as Chairman was binding on UPA Government. If it was so, then why was the Group of Ministers constituted? If it was so, then how did Shri Kalmadi write to the PM on 26.10.2004 suggesting that he should be the Chairman of the Organising Committee while the Minister of Youth Affairs and Sports should be the Chairman of the Steering Committee? If there was no way out except to make Shri Suresh Kalmadi the Chairman, how has the Prime Minister also stated and opined that Shri Suresh Kalmadi should be made the Chairman of the Organising Committee?

It is also a fact that late Shri Sunil Dutt, the then Minister of Youth Affairs and Sports, wrote to the Prime Minister and the Chairman of the Group of Ministers (GoM) about the way the original bid document was changed and the structure was altered in order to become the Chairman of the Organising Committee (OC).

Finally, on 29 January 2005, in the third meeting of the GoM, the views of the PMO were endorsed by GoM, and it was decided that OC should be headed by Shri Kalmadi. So, it was with full knowledge of the Prime Minister. Why such a decision was taken to make Shri Suresh Kalmadi the Chairman when the Prime Minister knew about it and when it was not binding on the Government? What did Shri Suresh Kalmadi do after becoming the Chairman? He changed the bid document before becoming the Chairman. There was forgery in the updated bid document, and everything was altered. How the decision to have a Government appointee as the Chairman was changed? How the Organising Committee was converted into a private company? How was Shri Suresh Kalmadi allowed ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : How was he allowed ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him further.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: How was he allowed to change the structure further?

We have seen and we have discussed in the Monsoon Session of last year, and we pointed out various irregularities which were there in the preparation of the Common Wealth Games (CWG) and how all the rules were thrown to the wind; how the money had frittered away; and how certain companies were favoured thereby, there was humongous loot of public money, which we have seen in the preparation of the CWG, 2010. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : In his statement, the Minister of State of the Ministry of Youth Affairs and Sports has stated : "â€|However, the bid document was inexplicably changed to delete the words 'Government Appointee' in respect of the Chairmanâ€|" How did this happen?

Who did this? Was it done with the full knowledge of the Prime Minister or not? Why did the Prime Minister, during this period, remain silent when such irregularities involving corruption were taking place to such an extent? â€| (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him. Please stop the cross-talk.

(*Interruptions*) â€|*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Shri Acharia, please continue.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Prime Minister should own the responsibility. For what had happened during the Commonwealth Games' preparation, all the corruption, scams and irregularities that have been committed, the Prime Minister should own the responsibility.

Yesterday, Sir, I have seen three heavy-weight Ministers appear before the Press in order to defend the indefensible, as if nothing has happened. ...(*Interruptions*) It is also quite surprising, I do not wonder, when they attacked a constitutional authority like the Comptroller and Auditor General (C&AG). Whenever they find any report of the Comptroller and Auditor General of India against them or not in favour of them, they criticize C&AG saying that the Comptroller and Auditor General is interfering with the policy matter. If all these irregularities come from the policy, which is being adopted by this Government, definitely, there will be a reference to the policy also.

Sir, how much profit was given to a public sector company? It may be a public sector company, but it has got Rs. 126 crore profit. This was the profit earned by the public sector unit, the Electronics Corporation of India Limited (ECIL).

Then, Rs. 1.1 lakh price was paid for the purchase of a single B-type oxygen cylinder with flow meter. The market price of this equipment was Rs. 6,405...(*Interruptions*)

SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point of order? Mr. Acharia, just wait a minute.

SHRI SANJAY NIRUPAM : Sir, I wish to raise my point of order under the rule 175 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. महोदय, अंडर द रूल 175 ऑफ दी रूल बुक ऑफ लोकसभा क्या बसुदेव आचार्य जी सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, अगर वे सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो रूल नम्बर 175 पढ़ लीजिये। हम सीएजी की हर रिपोर्ट को सबसे पहले पीएसी में भेजते हैं और ऐसा कौल एंड शकधर बुक में साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है।...(*व्यवधान*) अगर सीएजी की रिपोर्ट कोट करनी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।...(*व्यवधान*) महोदय, मुझे आपकी रूनिंग चाहिए।

MR. CHAIRMAN: I will give my ruling.

...(*Interruptions*)

SHRI SANJAY NIRUPAM : If he is quoting from the C&AG's report, then there should be a ruling from the Chair. That is what I demand from you. महोदय, मुझे आपकी तरफ से रूनिंग चाहिए कि क्या सीएजी को कोट कर सकते हैं, क्या सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं?...(*व्यवधान*) We do not have any problem in that, but we need a ruling from the Chair. That is what my demand is...(*Interruptions*) इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आप सीएजी की रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो मुझे वेयरमैन की रूनिंग चाहिए कि क्या सीएजी की रिपोर्ट पर हम डिस्कशन कर सकते हैं?...(*व्यवधान*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down now.

...(*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इन्होंने एक बार बोल दिया, ठीक है। ये रूनिंग पार्टी के हैं तो क्या ये बार-बार खड़े हो जायेंगे? इन्होंने एक बार बोल दिया, ठीक है, उस पर आप अपनी बात कहिये। एक ही बात को ये कितनी बार कहेंगे?...(*व्यवधान*)

MR. CHAIRMAN: I will give my ruling.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : When the price of oxygen cylinder which was Rs. 6,405, how was given? They have given Rs. 1,01,000.

Whose money was this? It was public money. The unit price of retractable chair is Rs. 17,566 which was bought from Nusli Comfort altogether, and 2,336 chairs were bought from consortium. The market price was Rs.1,850. But it was bought at Rs. 17,566. Can you challenge?

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Acharia Ji, just a minute. There have been instances and as a special case, this has been allowed. Shri Basu Deb Acharia ji, you can continue.

SHRI BASU DEB ACHARIA: The test Report came only on 29th October, 2010 i.e. after two weeks after commonwealth games. Rs. 4.8 crore was spent. It was the people's money. When one fourth of the population of our country are starving and are going to the bed with empty stomach and here, they have wasted such a huge amount. For setting up of a sports facility at Jamia, Rs. 2.5 crore was spent which was not even the games training venues. For Rugby, Rs. 22 crore was spent. Later, it was converted into cricket field. The cost of setting up a Delhi Jal Board plant was Rs. 35.2 crore. The Water Treatment Plant was set up at Games Village at Rs. 35.2 crore which is of no use after games and remained shut.

The three Ministers appeared before the press to defend the indefensible. We demanded and propriety demands that Chief Minister of Delhi, Shrimati Sheila Dixit should resign. Why have we demanded? We generally do not demand the resignation of MPs. During 34 years, there is not a single allegation against any Minister of West Bengal and, we have never demanded any resignation.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address to the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There is no allegation during 34 years against any Minister of West Bengal. I can challenge. How the money was spent? For renovation, Rs. 44,459 crore was spent. We have no money to introduce universalization of Public Distribution System but have money for renovation at huge costs.

MR. CHAIRMAN: If you have finished your speech, I will call the next Member. Please address to the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now their argument is that on the basis of CAG Report, no action can be taken. Chief Minister cannot be asked to resign on the basis of CAG Report because it will go to the PAC and we know that what the Ruling Party Members are doing in PAC.

We have seen that in the case of 2G spectrum report what they have done there. The Minister has stated that just after successful completion – we also share that it was a successful completion of Delhi CWG 2010 -- the Shunglu Committee was constituted. I can refer to the Shunglu Committee Report.

MR. CHAIRMAN : Please do not correct the hon. Member.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Delhi Government, the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Council were in-charge of 25 specific CWG projects relating to road transport, flyovers, foot-bridges, streetscaping, tourist infrastructure etc. In all, the Shunglu Committee identified 52 projects that were under construction before CWG involving an amount of Rs.7,156 crore.

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The HLC Report scrutinizes only 19 out of 25 involving an expenditure of Rs.3,054 crore. The Report mentioned that the deliberate delays led to escalation of costs and benefited many people involved in the projects. It says that design consultants were given very little time for preparation of design, estimates, lease document of Barapullah Nallah, Salimgarh bypass. Tenders were invited and at times accepted. ...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please stop commenting. He has a right to pronounce as he wants. Please do not disturb him. Let him pronounce as he wants.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Instead of specific procedure, a general panel of pre-qualified contractors were allowed to bid and high value packages were split to enable existing pre-qualified contractors to bid. Arbitrary additions were made in the list of pre-qualified contractors and four contractors captured sixty per cent of PWD works of value on their terms to the detriment of economic efficiency. The Chief Minister has no relation with this. Neither CAG nor Shunglu Committee indicted the Chief Minister. So, she should not resign.

About the street lighting project, it was tendered at a cost of Rs.286 crore which caused losses of several crore.

Illuminaries were imported as if these are not available in our country. Illuminaries were bought. What was the cost of it? It was at a cost of Rs.31.07 crore without giving any technical reason for their use. The procurement rate was eight per cent to 183 per cent, higher than the market price.

Still the Chief Minister does not know anything, and without her knowledge, all this had been done! I do not know; yesterday also, Shri Salman Khurshid was attending the Press Conference; Shrimati Ambika Soni was defending the indefensible. There were three Cabinet Ministers, including Shri Kapil Sibal. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair. Other hon. Members, please stop cross-talking. Please maintain the decorum of the House.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Contractors made additional profit of Rs.10.33 crore, in addition to the normal profit which they earned; this is an additional profit. What is the amount of that? It is Rs.10.33 crore. Still the Chief Minister is not liable! The processes were rigged; to keep an Australian firm out Spaceage Switchgears India was favoured in bidding though it had been initially found ineligible. Initially that firm was found ineligible, but surprisingly, that firm was found to be eligible. What might be the reason? The Chief Minister will be able to tell us.

There are a large number of irregularities. Just before the commencement of the Games, a foot over-bridge was constructed at a cost of Rs.10 crore. It was the cost of one foot over-bridge. It was not even inaugurated, or it was inaugurated and then, collapsed. It could not be reconstructed.

The rate of beautification was Rs. 4.8 crore, as against the rate of four-laning of National Highway which is Rs.9.5 crore. The estimated cost of construction of a railway track was Rs.4.1 crore, but for the beautification of the road, not for widening of the road, the cost was Rs.4.8 crore. The average cost of construction of railway track is Rs.4.5 crore, whereas beautification of the road cost Rs.4.35 crore.

Then, renovation and restoration of Connaught Place was envisaged in April 2004. Originally it was estimated at Rs.76 crore. But in May 2005, the cost got escalated. Shrimati Ambika Soni was defending it. It went up nearly nine-fold, to Rs. 671 crore, by 2007. How does, within this period, the estimated cost of Rs.76 crore, go up to Rs.671 crore? *...(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please wind up. Please conclude your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Within two years how could it increase so much? There is one non-existent company. A number of non-existent companies were involved. The address which was given was a residential address of a person and there was no company. An order was placed with this company. Such kind of frauds have been perpetrated which we have never seen in our country after Independence.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: In spite of so much irregularities and so much corruption, the estimates had been escalated abnormally, exponentially. Even the order was placed with a single bidder violating all the rules and norms. All the rules were thrown to the wind. In these circumstances, why should not the Chief Minister of Delhi be made liable for all these irregularities?

MR. CHAIRMAN: Please do not embarrass the Chair. Please conclude now. I will call the next speaker.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, one after another scams are taking place during the UPA-2 regime, starting from 2G Spectrum, Commonwealth Games, KG-D6 Basin and Cash for Vote which we saw on 22nd July, 2008 during the Confidence Motion against the UPA-1 Government. Sir, because of the inaction of the Government, inaction on the part of the Prime Minister...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I am calling the next speaker. You have made your point.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, because of the inaction on the part of the Government, the Supreme Court had to intervene....*(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): He is going through every aspect....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. You have already spoken for 30 minutes. You have made your point.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Whatever happened during the preparation of CWG-2010 was in full knowledge of the Prime Minister and he remained silent during this whole period. The Prime Minister should own responsibility for the irregularities, corruption, mis-management and *loot*. It is not only a scam but rather *loot* of the public money...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You are repeating the same points. You have made your point. Now, please sit down.

SHRI BASU DEB ACHARIA : For this, the Chief Minister of Delhi, Shrimati Sheila Dikshit should tender her resignation forthwith. Propriety demands that the Chief Minister should tender her resignation immediately.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति जी, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ कि ऐसी ...(व्यवधान) आपको भी इसके बाद बोलना है, तो कृपया शांत बैठें।
...(व्यवधान)ब

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair and do not disturb him.

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूँ कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे अपनी प्रतिक्रिया रखने का आपने अवसर प्रदान किया। एक शायर ने लिखा है - ...(व्यवधान) Mr. Chairman, Sir, I need your protection...(Interruptions) ' जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बत्ते हमारी अहद के चालाक हों।' ...(व्यवधान) ये जो पंक्तियाँ हैं, भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, मैंने उसके संदर्भ में कही हैं। यह जो सारी व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था की जननी भारत का संविधान है।...(व्यवधान) जितनी संस्थाएँ हैं, वे संविधान के समक्ष काम करती हैं। अगर बत्ते जननी को परखना शुरू कर दें, तो अराजकता और विनाश पूरे देश में फैलेगा। ...(व्यवधान) संस्कृत का एक श्लोक है - 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' ...(व्यवधान) क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो एक संज्ञान और परिप्रेक्ष्य में होनी जरूरी है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him because the same thing will happen when your Member is going to speak.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please maintain decorum so that he could speak. You will get your time to speak. Please continue.

SHRI MANISH TEWARI : Thank you, for affording me the protection. इस बहस की बुनियाद क्या है? ...(व्यवधान) इस बुनियाद की बहस यह है कि सीएजी ने ...(व्यवधान) इसके बाद आपके वक्ता को भी बोलना है, फिर मत कहिएगा। ...(व्यवधान) सीएजी ने एक टिप्पणी की है कि श्री सुरेश कलमाड़ी की जो नियुक्ति है, उसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। ...(व्यवधान) मैं एक बहुत बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ और वह बुनियादी सवाल यह है कि क्या सीएजी को नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर और जो नीति का चयन है, उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार है? ...(व्यवधान) यह बुनियादी सवाल इस सदन में उठाना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) आज इसके ऊपर कोई न कोई फैसला होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€! *

MR. CHAIRMAN: There is nothing unconstitutional in what he has spoken. Please sit down.

(Interruptions) â€! *

श्री मनीष तिवारी: सभापति महोदय, अगर इनको नहीं सुनना है, ...(व्यवधान) अगर इनमें सुनने की क्षमता नहीं है तो ये बाहर जा सकते हैं। ...(व्यवधान) निश्चिंत दुबे जी, आप बैठ जाइए। ..(व्यवधान)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will not allow you from here, please go to your seat.

श्री मनीष तिवारी : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि ...(व्यवधान) उसके ऊपर निर्णय हो चुका है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Under what rule, you want to raise the point of order?

SHRI NISHIKANT DUBEY: Under Rule 174.

श्री मनीष तिवारी : इसमें क्या है?

SHRI NISHIKANT DUBEY: Sir, according to Rule 174:

"The Speaker shall decide whether resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

MR. CHAIRMAN: What is your point?

SHRI NISHIKANT DUBEY: If he is saying something against C&AG that is an abuse because that is not my appointment. It is the Government of India appointment and that is a constitutional appointment. That way, it is an abuse of the Constitution. So, if he is accusing C&AG, it is not proper and it is against the fervour of the Constitution....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You have made your point. You please sit down.

...(*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Sir, I am on a point of order...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He has got a point of order. Which rule are you quoting?

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Sir, this is not fair. He should not quote a rule which is not applicable. Rule 174 says:

"The Speaker shall decide whether resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules."

Here no resolution is being moved. So, Rule 174 is not applicable.

MR. CHAIRMAN: All right. You made your point. Mr. Tewari, you please continue.

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर और व्यवस्था के पृष्ठ के ऊपर इस सदन से मुख्यातीब हो रहा था कि क्या सीएजी को नियुक्ति की प्रक्रिया और नीति के चयन के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार है या नहीं है? इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे बहुत ही सम्मानित दोस्त ने संविधान का जिक्र किया है कि इस देश का संविधान सीएजी के बारे में क्या कहता है। आज समय आ गया है कि इस के ऊपर एक विस्तृत बहस होनी चाहिए। आर्टिकल 149 में लिखा है :

"The Comptroller and Auditor General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States or any other particular authority."

Here the word 'accounts' is the key word.

इसलिए मुख्य बात यह है कि जब इस सदन में इस संविधान की रचना हुई थी तो कम्प्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल को अख्तियार दिया गया था कि भारत का जो लेखा-जोखा है, भारत का जो हिसाब-किताब है उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद 1971 में इसी सदन में सीएजी के अख्तियारों को लेकर एक और कानून बना। उस कानून में फिर से इस सदन में इस बात को दुहराया कि सीएजी को सिर्फ हिसाब-किताब और लेखा-जोखा रखने का अधिकार है। नियुक्ति के ऊपर और नीति चयन के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) $\hat{a}€!*$

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, इस सदन को बहुत ही गंभीरता से इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Manish Tewari says.

(*Interruptions*) $\hat{a}€!*$

MR. CHAIRMAN: When your turn comes, you can speak. Please sit down.

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, संविधान में एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है।

राष्ट्रपति जी से इस सदन में आती है और इस सदन से लोक लेखा समिति (पब्लिक एकाउंट्स कमेटी) को जाती है। पिछले एक साल से आप बहुत ही विचित्र और अदभुत प्रक्रिया देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के संज्ञान में रिपोर्ट नहीं, सदन के संज्ञान में रिपोर्ट नहीं, लोक लेखा समिति को गई नहीं और सारे देश में उसका प्रचार हो गया...(व्यवधान) फिर बसुदेव आचार्य जी कहते हैं --

"When I say that the C&AG has a very peculiar way of functioning through peeps, leaks and squeaks, then they say that I am criticising the C&AG. I think, there is a very serious need for this House to have a debate on the doctrine of separation of powers. That is the only way that this country will function."

सभापति महोदय, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सीएजी ने टिप्पणी की तो वह टिप्पणी गलत कर दी, क्योंकि जो तीन सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं, 11.09.2003, सरकार एनडीए की, प्रधान मंत्री जी इनके, 11 सितम्बर, 2003 को होस्ट सिटी कौन्ट्रैक्ट को कैबिनेट मंजूरी देती है। उस कैबिनेट की मंजूरी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खेल संचालन की सारी जिम्मेदारी इंडियन ओलिंपिक एसोसिएशन को दे दी जाती है। ...(व्यवधान) मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ देता हूँ जो कह रहे हैं कि गलत है।

On 14.5.2003 -- the big document was submitted by the Indian Olympic Association which mentions that the Government nominee should be the Chair of the Organising Committee....(व्यवधान) मैं उस पर आ रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए।...(व्यवधान) 24th of May, 2003, the then Sports Minister, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, wrote a letter to Mr. Michael Finn, President of the Commonwealth Games Federation stating that the Games will be organised in accordance with the constitution, protocol and regulation of the Commonwealth Games Federation.

14.58 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

अब आप उस तारीख पर आइए जिसका मैं जिक्र कर रहा था।

11.09.2003 – the Cabinet clears the host city contract and the Games management protocol and the authorises the Secretary, Sports to sign the contract in which protocol to, in paragraph 1 mentions, the Federation shall entrust the CGA of the host country with the organisation of the Games. The CGA shall establish an OC which shall have legal status and shall delegate the organisation of the Games to the Organising Committee which shall work in conjunction of the CGA. उसके आगे लिखते हैं -- It is worthwhile to mention that the Commonwealth Games Association in the case of India as per the Commonwealth Games Federation website is the Indian Olympic Association.

मई, 2003 में बिड में एक बात कही जाती है और सितम्बर, 2003 आते-आते राष्ट्रमंडल खेलों का सारा कार्यभार प्रबंधन समिति को दे दिया जाता है। उसके बाद 13 नवम्बर, 2003 को एनडीए सरकार होस्ट सिटी कौन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर करती है। होस्ट सिटी कौन्ट्रैक्ट में एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में साफ तौर पर लिखा है। सभापति महोदय, दो फिक्चर हैं जिन्हें मैं आपकी अनुमति से पढ़ देता हूँ।

The Federation shall entrust the Commonwealth Games Association of the host country with the organisation of the Games. The Commonwealth Games Association shall establish an OC which shall have legal status and shall delegate the organisation of the Games.

15.00 hrs.

अब मुझे की बात है कि यह कांटेक्ट साइन करते हैं, करार करते हैं जिसमें खेल के प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी प्रबंधन समिति को दे दी जाती है। उसके बाद 1 नवम्बर, 2004 को आईओए में चुनाव होता है। आईओए श्री सुरेश कलमाड़ी को प्रबंधन समिति का अध्यक्ष चुनती है और उनका नाम उस समय लोक सभा में विपक्ष के उपनेता तत्कालीन आईओए के प्रेजीडेंट श्री विजय कुमार मल्होत्रा प्रपोज करते हैं। उस बैठक में अब कौन-कौन शामिल हैं--हमारे प्रदेश से सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सरदार तरलोचन सिंह हरियाणा से और श्री अभय चौटाला हरियाणा से। वे क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं या विपक्ष के सदस्य हैं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह बात मैं नहीं कह रहा। ...(व्यवधान) चूंकि आपने सीएजी रिपोर्ट से रैफर करने की अनुमति दी है, तो सीएजी रिपोर्ट के 56वें पेज पर लिखा है कि--

"The Games would be organized in accordance with the provisions of the CGF Constitution, Protocols and Regulations."

इसलिए यहां पर एक सरकार है, जो अपने सारे अख्तियार प्रबंधन समिति को सौंप देती है। उसकी सबसे बड़ी हिमायत कौन करता है? आप आज का 'हिन्दू' अखबार पढ़िये। 'हिन्दू' और आपका दक्षिण भारत का एक बहुत मशहूर अखबार है, उसके पहले पेज पर लिखा है --

"This is what Mr. Malhotra said on October 26, 2004, as reported in *The Hindu* of the following day: "It is the prerogative of the IOA to put in place the committee to organize the Games it had successfully bid for. Nowhere in the world, be it Olympic Games or the respective continental games, that the government takes over the organization from the National Olympic Committee."

He has said "Nowhere in the world that Games are taken over by the Government from the National Olympic Committee" He further says:

"Mr. Malhotra was reported to have blamed the government for "unilaterally" setting up the OC for the Games "in defiance of the Olympic Charter." He said he was not personally opposed to Mr. Sunil Dutt, "but this is complete sidelining of the IOA and that may lead to negative repercussions in the sporting world." In short, he favoured an IOC nominee – who was Mr. Kalmadi – as Chairman of the OC."

I am not saying all these. This is what today's *The Hindu* says. ...(Interruptions)

इस सारे का सार क्या है? इस सारे का सार यह है कि स्वर्गीय खेल मंत्री श्री सुनील दत्त जी ...(व्यवधान)

जिनकी आप सब बहुत व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करते हैं ...(व्यवधान) प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनना चाहते थे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not make a running commentary as the same thing will happen when your Party Member will speak.

...(Interruptions)

श्री मनीष तिवारी : उन्होंने शायद उस बारे में कोई वक्तव्य भी भेजा होगा, लेकिन जो एनडीए सरकार थी, इस एनडीए सरकार ने कथार के माध्यम से अपने सारे अख्तियार प्रबंधन समिति को समर्पित कर दिये। ...(व्यवधान) वह बात वहां स्वतंत्र नहीं होती। ...(व्यवधान) अगर यूपीए सरकार उस कथार के ऊपर ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, वह बात वहां पर स्वतंत्र नहीं होती। अगर सरकार उसके ऊपर कानूनी कार्यवाई करना चाहती, तो वह कानूनी कार्यवाई के अख्तियार भी अमेरिका और इंग्लैंड की अदालतों को दे दिये। ...(व्यवधान)

एनडीए सरकार ने कानूनी कार्यवाई करने के अपने अधिकार भी छोड़ दिए। The arbitration will take place according to the laws of England. This is what is written in the contract. इसलिए अपने सारे हाथ-पांव काटकर इन्होंने प्रबंधन समिति की झोली में डाल दिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमारे मित्र शाहनवाज हुसैन जी शायद यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी कहानी किसी दिन बयान करेंगे।...(व्यवधान) अगर साया हांवा, सारी व्यवस्था इन्होंने बनाई, साया मसौदा इन्होंने तैयार किया, तो यह बहस आज क्यों हो रही है? मैं बताता हूं कि यह बहस क्यों हो रही है?...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seats.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please listen to me. We are taking up this issue very seriously. When so many Members go on giving commentaries, then it disrupts the hon. Member. So, there will not be any seriousness in the debate. Therefore, I would request you to please listen to what he says. When you interrupt other hon. Members, then others will interrupt your Members. That may not look nice.

...(Interruptions)

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष कह रहा था कि फिर अगर ये हालात हैं, यह घटनाक्रम है, तो यह बहस क्यों हो रही है? ...(व्यवधान) इसका साफ-साफ कारण यह है कि कर्नाटक में इन्होंने बलि दी है और दिल्ली में ये बलि लेना चाह रहे हैं। ...(व्यवधान) Tit for tat. इस सारी बहस का औचित्य और सार एक पंक्ति में निकलता है कि द्वेष की भावना से यह बहस हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली और कर्नाटक में क्या फर्क है? ...(व्यवधान) जब कर्नाटक में अवैध खनन का कदू कटा था। ...(व्यवधान) जब कर्नाटक में अवैध खनन का कदू कटा था, तो... * कर्नाटक के लोकायुक्त की रिपोर्ट, ...(व्यवधान) उसके हर पन्ने के ऊपर उस भ्रष्टाचार के छींटे हैं।...(व्यवधान) उस लोकायुक्त की रिपोर्ट के हर पन्ने पर उस कर्नाटक के भ्रष्टाचार के छींटे हैं।...(व्यवधान) और दिल्ली में सीएंडएजी की रिपोर्ट में एक टिप्पणी की गयी।...(व्यवधान) उस टिप्पणी की असलियत क्या है कि वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, उसने स्पेस एज के कथार को, कांटेक्ट को खारिज कर दिया, तो वह कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट में गयी, हाईकोर्ट ने वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड के उस फैसले को रद्द करके उनको कथार दे दिया। अब मुझे बताइए कि क्या सीएंडएजी को दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर या दिल्ली की सरकार पर टिप्पणी करनी चाहिए? 25 पेज के ऊपर, एजीक्यूटिव समरी में टिप्पणी है। आप पूरा बाइसवां चैप्टर पढ़िए, इसकी कहानी ही कुछ और है जो ...(व्यवधान) * मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह ...(व्यवधान) * मैं एक बात और इस सदन से पूछना चाहता हूं। यहां बहुत वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। क्या सीएंडएजी की रिपोर्ट ब्रह्म-वाक्य है? अगर सीएंडएजी की रिपोर्ट ब्रह्म-वाक्य है, तो इस लोकलेखा समिति का क्या औब्जेक्टिव है? बंद कर देनी चाहिए लोक लेखा समिति, अगर सीएंडएजी की रिपोर्ट की रिपोर्ट ब्रह्म-वाक्य है।

If the C&AG's Report is Gospel's, Mr. Chairman, Sir, then, why we have a Public Accounts Committee? Let us shut it down. Therefore, I think there is a need to err on the side of caution when we decide to make political issues out of inconclusive reports. और अगर आप सीएजी की रिपोर्ट पर ही बहस करना चाहते हैं, उसे ब्रह्म वाक्य मानते हैं, तो फिर आइए उत्तराखंड की रिपोर्ट पर। क्या कहती है उत्तराखंड पर सीएजी की रिपोर्ट कि 44 करोड़ रुपए महाकुम्भ के मामले में गबन कर दिए उत्तराखंड की सरकार ने।...(व्यवधान) आप हिनदू होकर महाकुम्भ को तो छोड़ देना था। उसका माल भी साफ कर गए।...(व्यवधान) बच्चा-बच्चा राम का, क्या करेगा मैं शाम का। ...(व्यवधान) राम नाम जपना परया माल अपना।...(व्यवधान) अगर आपने सीएजी की बात करनी है तो अब आप गुजरात पर आ जाएं। सुजलाम सुफलाम- गुजरात सरकार की एक नीति थी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He can make a reference to it.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can make a reference to it. Do not discuss too much of that Report.

...(Interruptions)

SHRI MANISH TEWARI : Sir, I am sorry, I cannot hear you.

MR. CHAIRMAN: You can, certainly, refer to it. Do not take up the Report for too much discussion.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Do not discuss the Report. You can only make a reference to it. You cannot discuss the Report.

SHRI MANISH TEWARI: I am not going into the merits of the Report.

MR. CHAIRMAN: Do not discuss the Reports. You can only make a reference to the Reports.

SHRI MANISH TEWARI : I am not going into the merits of the Reports. I am only going into the conclusions. सीएजी ने रिपोर्ट दे दी, गुजरात की लोक लेखा समिति ने पाया कि उसमें 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है।...(व्यवधान) गुजरात की सरकार ने क्या किया, चार साल हो गए, विधान सभा के पटल पर उस रिपोर्ट को रखने नहीं दिया और फिर ये सीएजी की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) अब आप आगे आ जाओ, सीएजी की रिपोर्ट नम्बर पांच, साल 2006, उसका मसौदा-एनडीए सरकार के रक्षा सौदे। अब सीएजी क्या कहती है, मैं एक-एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स- कितना घाटा, 556 करोड़ रुपए। एम्बेयेर जेट, इनके समय खरीदा गया था, 120 करोड़ रुपए का घाटा। यूट्रोन गिआइल, 50 करोड़ रुपए का घाटा। Inertial Navigation and Global Positioning System, 30 करोड़ रुपए का घाटा। अभी सभापति महोदय मैंने कफन की, कारगिल की और बंगारू की तो बात ही शुरू नहीं की है।...(व्यवधान) अच्छा, अब आगे आ जाइए।...(व्यवधान)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Mr. Chairman, Sir, I would like to draw your attention to Chapter XIII, Rule 179 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. It says

"The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution. "

He is discussing Uttarakhand, Kumb Mela, etc. This is discussion on the CWG. So, he should confine himself to the CWG. ...*(Interruptions)* Please see Rule 179.

MR. CHAIRMAN: No. Please sit down.

श्री मनीष तिवारी : सभापति महोदय, हमारे बहुत की काबिल दोस्त विजय बहादुर सिंह जी का जो गुरसा है, वह बहुत जायज है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पर भी आ रहा था इसलिए उनका गुरसा जायज है। सीएजी की रिपोर्ट अभी चार-पांच दिन पहले आई है।

सीएजी की रिपोर्ट अभी चार-पांच दिन पहले आयी है और वह सुश्री मायावती जी की सरकार के बारे में, मूर्तियों के बारे में क्या कहती है कि मूर्तियों के मामले में 1998 करोड़ का घाटा ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय मैं बहुत गंभीर सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या इन सीएजी रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए भारत के राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए एक मापदंड और विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों के लिए दूसरा मापदंड, यह नहीं चलेगा, मापदंड एक ही चलेगा। मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस देश में हाईकोर्ट के जज बेल की अर्जी को खारिज करते हुए यह कहते हैं कि *a politician will do anything to keep his job, even become a patriot*. मेरी आपसे यह अपील है और मैं सदन से हाथ जोड़कर यह बात कहना चाहता हूँ कि अपनी दाढ़ी इनके हाथ में मत पकड़ाइये, नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जब आपको इस सदन पर ताला लगाकर, उसकी चाबी उच्चतम न्यायालय या सीएजी को देकर जानी पड़ेगी।

अंत में, मैं एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा कि

"कैसी चली है अब के हवा इस शहर में,

बंदे भी कुछ हो गये हैं खुदा मेरे शहर में"

कृपा करके अपनी दाढ़ी इनके हाथ में न पकड़ाइये।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मैं अक्सर इस सदन में अपनी बात बहुत आत्मविश्वास के साथ रखता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। क्यों डरा हुआ हूँ, वह इसलिए कि हमारे सामने हमारे नौजवान दोस्त, खेल मंत्री, श्री अजय माकन जी बैठे हैं, मैं इन्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। हमारा इनका बहुत स्नेह का रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी में हमारे बहुत मित्र हैं लेकिन कल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल में, इन्होंने विपक्ष को धमकी दी और यह कहा कि मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं और मैं कल विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

मुझे लगा कि मुझे संसदीय परम्पराओं का जो ज्ञान है, उसमें विपक्ष को तो यह अधिकार है कि हम सदन और सदन के बाहर अपनी बात रखें लेकिन मंत्रियों को यह अधिकार नहीं है। मंत्री अपनी बात सदन में रखते हैं और सदन के बाहर कोई मंत्री अपनी बात कहता है जब सदन चल रहा हो, तो वह सदन की अवमानना होती है। ...*(व्यवधान)*

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, मेरे संबंध में बात कही गई है, इसलिए मैं एक मिनट बोलने का समय चाहता हूँ। मैंने जब लोकसभा में अपना बयान देना चाहा, तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुझे मजबूर हो कर सदन के पटल पर अपना बयान रखना पड़ा। मैं यहां से राज्यसभा अपना बयान देने के लिए गया, मुझे वहां भी बयान नहीं देने दिया गया और मजबूर मुझे अपना बयान सभापटल पर रखना पड़ा। उसके बाद अगले दिन मुझे कहा गया कि आप आइए, आपसे राज्यसभा में एक्सप्लेनेट्री वक्थेयन-आन्सर्स पूछे जाएंगे। मैं शाम को पांच-साढ़े पांच बजे तैयार हो कर वहां गया, लेकिन शाम को श्री एस.एस. अहलूवालिया के द्वारा मुझसे कहलवा दिया गया कि आज नहीं हम फिर कभी पूछेंगे। अगले दिन मैं फिर गया कि आप मुझसे एक्सप्लेनेट्री वक्थेयन पूछिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। उस समय भी मुझसे नहीं पूछा गया। जब-जब बार मैं कह रहा हूँ कि मैं सदन में जवाब देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद कल मैंने कहा कि मेरे पास उत्तर है और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप मेरी बात सुनिएगा, तो आप महसूस करेंगे कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की पोल खुलेगी, इसलिए आपको मेरी बार जरूर सुननी चाहिए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं सदन की परम्पराओं की बात कह रहा था। मैंने अभी चीट किया, जब मंत्री महोदय खड़े हुए, तो मैं बैठ गया और मैंने उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। इस सदन में जब हम दूसरे सदन का जिक्र करते हैं, तो नाम नहीं लेते हैं बल्कि दूसरा सदन कह कर सम्बोधित करते हैं। इन्होंने राज्यसभा का नाम लिया और श्री अहलूवालिया जी का नाम लिया। श्री अहलूवालिया जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और एक बार फिर इन्होंने संसदीय परम्पराओं का हनन किया है।

महोदय, सदन में जो चर्चा हो रही है, वह मंत्री जी ने जो वक्तव्य 2 अगस्त, 2011 को सदन में दिया या रखा, उसके ऊपर हो रही है। हमारे विद्वान मित्र श्री मनीष तिवारी अभी बोल रहे थे और उन्होंने सीएजी के क्या अधिकार हैं, इस बात से अपनी चर्चा शुरू की थी। उन्हें याद होगा, जब हम लोग सरकार में थे और ताबूत के ऊपर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे, उस रिपोर्ट को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी पूरे देश में घूम रही थीं। उस समय क्या उन्हें याद नहीं था कि सीएजी का अधिकार क्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां बिहार और झारखंड में एक कहावत है कि मीठा-मीठा गप-गप और तीखा-तीखा थू-थू ऐसा नहीं चलेगा। अगर स्वीकार करना है, तो सभी सीएजी की रिपोर्ट को स्वीकार करें अगर स्वीकार नहीं करना है, तो सीएजी के अधिकार पर कोई बात मत उठाओ। मेरे विरुद्ध साथी श्री जसवंत सिंह जी अभी मुझे बता रहे थे कि संविधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर इस सदन में हम विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत ही चर्चा कर सकते हैं। अचानक सीएजी के ऊपर, जो आपको सूट नहीं करेगा, उस संस्था को आप मिटा देना चाहते हैं। You are out to destroy every institution of this country.

मैं आपसे कहना चाहता हूँ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री यशवंत सिन्हा : इन्होंने कहा कि जब सीएंडएजी की रिपोर्ट आएगी तो वह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी को जायेगी और जो रिपोर्ट पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में जाती है तो ये लोग वहां क्या करते हैं...(व्यवधान) कोई यहां उठकर बोले कि जेपीसी और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का क्या करते हैं ... (व्यवधान) इनको शर्म आनी चाहिए...(व्यवधान) वैधानिक ढंग से चुने हुए पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष का इस्तीफा बाहर मीडिया के सामने जाकर मांगा जाता है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री यशवंत सिन्हा : क्या यही शोभा देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ बोलेगा तो यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, सीएंडएजी इनके खिलाफ बोलेगा तो यह सीएंडएजी के खिलाफ बोलेंगे, सीवीसी और सीबीआई इनके खिलाफ बोलेगी तो यह उनके खिलाफ बोलेंगे और पीएसी इनके खिलाफ जायेगी तो यह पीएसी की धजियां उड़ायेगे। इन्होंने संविधान की धजियां उड़ाई हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirupam, you will have the chance to speak next. Mr. Sinha, you may please carry on.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You will have the chance to speak when your turn comes.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Sinha, you please continue. Nothing else will go on record except what Mr. Sinha says.

(Interruptions) â€¦! *

MR. CHAIRMAN: Mr. Nirupam, please take your seat. You are going to speak when your turn comes next. At that time you can put your points. Please do not disturb the House like this.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down now.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I cannot run the House like this if you do not cooperate.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate and let him speak. When your turn comes you can reply to his points at that time.

...(Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : Mr. Chairman, this is not the first time that the Congress Party is doing this, namely, playing with the Constitution and the institutions of this country. They have done it in 1975 and paid the price...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please listen to him. You can counter him afterwards when your turn comes.

SHRI YASHWANT SINHA : Once again they are going to pay the price for what they are doing to destroy the institutions of this country...*(Interruptions)*

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: This is baseless allegation...*(Interruptions)*

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा था कि मेरे बड़े सारे मित्र कांग्रेस पार्टी में हैं, उसी तरह के एक मित्र ने मुझसे कुछ दिन पहले कहा कि इस सरकार ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और वह स्ट्रेटेजी क्या है, वह स्ट्रेटेजी यह है कि जब हम लोग कोई भी मुद्दा उठाए तो उसे कहीं न कहीं छोटी सी बात में फंसा दो और इस सरकार के कुछ मंत्री हैं, जो सारे कागजों को देखते हैं और सारे कागजों को देखने के बाद कोई छोटा सा एक मुद्दा कहीं पर पड़ा है तो उसे पकड़ लेंगे और सारी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ...*(व्यवधान)* आप आज की डिबेट को देखिये, आज की डिबेट में क्या हो रहा है, मंत्री महोदय ने दो अगस्त को जो बयान दिये थे तथा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बयान दिये थे, आज की डिबेट उसके बारे में हैं।

आज की डिबेट है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम्स की लूट- खसोट के ऊपर और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो डकैती हुई है, उसके ऊपर है। ये बात को कहां ले जा रहे हैं? सुरेश कलमाडी को किसने अपॉइन्ट किसने किया ...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : आपने ही किया था।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : किसने अपॉइन्ट किया?...*(व्यवधान)* सुरेश कलमाडी है कौन?...*(व्यवधान)* who is Suresh Kalmadi? ...*(व्यवधान)* आप उनके साथ सेन्ट्रल हॉल में बैठे हुए देखे गए थे, इसलिए आप उनके लिए दोषी हैं। ऐसे हुआ था, उसके लिए आप दोषी हैं। श्री विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में क्या छप गया, उसके लिए उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि वे इस सदन में नहीं हैं...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी : कह दीजिए कि गलत छपा है। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : इस तरह सारे मामले को डाइवर्ट कर दो इस डिबेट में कि सुरेश कलमाडी को किसने अपॉइन्ट किया? सुरेश कलमाडी को सन, 2009 में लोकसभा का टिकट किसने दिया?...*(व्यवधान)* क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? सुरेश कलमाडी को ढोते रहे, ढोते रहे, सिर पर बिठा कर घूमते रहे। आज वही सुरेश कलमाडी भारतीय जनता पार्टी का हो गया? जब वह तिहाड़ जेल चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो डिबेट शुरू करने की कोशिश की है, उसमें कोई दम नहीं है और न हम उसके विस्तार में जाना चाहते हैं क्योंकि वे डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं और घुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे तो मेरे पास कागजात बहुत हैं। श्री सुरेश कलमाडी को, जो कि आज इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, बेचारे तिहाड़ जेल में हैं, अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए, हालांकि वह बिल्कुल गलत है कि उनको एनडीए की सरकार ने अपॉइन्ट किया था, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आपने उनको हटाया क्यों नहीं। आपके लिए हमारा बनाया हुआ इतना महत्वपूर्ण है, तो आप खाली कीजिए हम वहां पर आते हैं। ...*(व्यवधान)* जब आप काबिल ही नहीं हैं...*(व्यवधान)* आप सब हमारे ही फैसले पर चल रहे हैं, तो क्यों न हट जाओ। ...*(व्यवधान)* लेकिन जब सुरेश कलमाडी बदनाम हो गए ...*(व्यवधान)* किसी फिल्म में गाना था, सलमान भाई यहां पर बैठे हुए हैं, फिल्म के बहुत शौकीन हैं। जब सुरेश कलमाडी की मुन्नी जैसी हालत हो गई ...*(व्यवधान)* तब उन्होंने आज के अटर्नी जनरल श्री वहानवती का ओपिनियन मांगा, उसकी एक कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा है कि "The Attorney General said that Kalmadi was appointed as the Chairman of the OC on the recommendation of the Group of Ministers and hence a call to terminate his tenure as Chairman could be decided by the Government." Which Group of Ministers? Their Group of Ministers..

इस एडवाइज के आधार पर आपने सुरेश कलमाडी को कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हटा दिया। The Commonwealth Games Organizing

Committee's work is still in progress. There are still pending bills. जो कॉमनवैल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को तय करना है, लेकिन इन्होंने उसे हटा दिया। वर्ष 2011 में ये उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन वर्ष 2004 में नहीं हटा सकते थे, वर्ष 2005 में नहीं हटा सकते थे। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक प्रोटोकाल के अन्दर लिखा हुआ था कि आई.ओ.ए., इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन इसे एप्वाइंट करेगा। उसमें भी यह नहीं लिखा हुआ था कि सुरेश कलमाड़ी एप्वाइंट होंगे या आई.ओ.ए. के चेयरमैन एप्वाइंट होंगे, लेकिन इनके हाथ बंध गये। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम क्या करते? मेरे पास उस समय के जितने भी कागजात हैं, कहीं पर भी उन सरकारी दस्तावेजों में इस होस्ट सिटी कांटेक्ट और प्रोटोकाल टू का जो प्रावधान है, उसका जिक्र तक नहीं है। मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय की नोटिफिकेशन हैं, उनमें कहीं नहीं लिखा है कि एनडीए की सरकार यह तय करके गयी है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हैं। उनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आज अचानक एक खोजी मंत्री पैदा होता है, खोजी पत्रकारिता खत्म हो गयी, अब खोजी मंत्रियों का जमाना है। वे खोजी मंत्री पेपर्स को खंगालते-खंगालते देखते हैं, इसमें पकड़ो और सास एनडीए के ऊपर डाल दो। वाहनवर्ति ने यह कहा कि आप उसे जब चाहते तब हटा सकते थे। अगर आपने नहीं हटाया तो इसलिए नहीं हटाया कि अकेले सुरेश कलमाड़ी दोषी नहीं हैं, आप सब लोग दोषी हैं...(व्यवधान) आप सब लोग मिले हुए हैं...(व्यवधान)

श्री राज बब्बर (फ़िरोज़ाबाद): आप मंत्री जी से इस तरीके से बोल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Silence please. Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, मैं जो दो बातें कह रहा था, एक तो अटॉर्नी जनरल ने जो अपना ओपीनियन दिया, उसे मैंने कोट किया। अब मैं दूसरा एक कोट कर रहा हूँ, श्री सुरेश कलमाड़ी के स्वयं के पत्र को जो 31 अक्टूबर वर्ष 2007 को प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री टी.के.ए. नायर जी को लिखा गया। उसकी प्रति मेरे हाथ में है। उसमें वे कहते हैं क:

"Organising Committee under the Chairmanship of Shri Suresh Kalmadi with 15-member Executive Board was registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 on 15th February, 2005, after a series of discussions with PMO, the Chairperson of the UPA and the Group of Ministers."

अगर सरकार में से किसी में भी साहस तो वे इसे डिनाई करें...(व्यवधान) यह किसके समय की बात है? इसमें जो भी लिखा है...(व्यवधान) सारी बातें...(व्यवधान) इसमें जो भी लिखा है, सारी बातें...(व्यवधान) जो लिखा है, उसके बारे में मैं इससे बेहतर शब्दों में इसको नहीं रख सकता हूँ, जितना कि मेरे मित्र, जो कि आज दूसरे सदन के सदस्य हैं, उस समय के खेल मंत्री थे, श्री मणिशंकर अय्यर, उन्होंने 25 अक्टूबर, 2007 को प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा, उसकी प्रति मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा?...(व्यवधान) वह मंत्री थे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

श्री यशवंत सिन्हा : श्री सुनील दत्त जी ने एक व्यथा भरी विद्दी लिखी। उनकी विद्दी व्यथा से भरी हुई थी। प्रधानमंत्री जी को लिखा। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ यही हुआ कि उनकी विद्दी प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंची और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सुरेश कलमाड़ी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। मुंहतोड़ जवाब, इसको कहते हैं। अब श्री मणिशंकर अय्यर जी ने 25 अक्टूबर, 2007 को लिखा। बड़ी इंटरस्टिंग विद्दी है। कैब्रिज के पढ़े हुए विद्वान हैं। Shri Salman ji, you were across. कैब्रिज के पढ़े हुए। बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं और बोलते भी हैं। मैं बड़ी कद्र करता हूँ, सलमान जी की और उनकी भी जो विदेशों से पढ़कर आते हैं, मुलायम सिंह जी! वे बड़े खास लोग होते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा?

He said:

"A recent example of this profligacy is the contract signed with Mike Hooper, a serving official of the Commonwealth Games Federation, to appoint him as an international consultant at a cost of Rs.1.5 -2 crore! â€¦"

माइक हूपर और माइक फैनल दो थे। माइक हूपर कॉमनवैल्थ गेम्स फेडरेशन के पदाधिकारी थे। इनको डेढ़ करोड़ रुपए पर यहां एक फार्महाउस लेकर उसमें उनको स्थापित किया गया और मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि "This is a recent example of this profligacy." यानी कि जो फ़िज़ूलखर्ची हो रही है उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। फिर उन्होंने कहा, आप जो पूछ रहे थे कि एक एपैक्स कमेटी बननी थी। एपैक्स कमेटी जो कि ओवरसिडिंग पावर्स होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर। सारी बात देखने का अधिकार उसको दिया गया था। एपैक्स कमेटी, जिसके कि खेल मंत्री अध्यक्ष होते। श्री मणिशंकर कह रहे हैं:-

"This has happened despite my personal decision to not operationalise the Apex Committee authorized by GoM after Kalmadi's vociferous opposition to the Apex Committee in the meeting in August 2006 convened at your level. â€¦."

प्रधानमंत्री जी ने अगस्त, 2006 में मीटिंग बुलाई और उसमें श्री कलमाड़ी ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया कि एपैक्स कमेटी काम नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री चुप रहे, कोई फैसला नहीं दिया, जैसा कि नहीं देते हैं और उसके बाद श्री मणिशंकर अय्यर बेचारे ने कहा कि हमने यह तय किया कि हम उसको ऑपरेशनलाइज़ नहीं करेंगे। उसको कारगर नहीं बनाएंगे। उसके बाद उनका रोना क्या है? उनकी पीड़ा वह इन शब्दों में व्यक्त करते हैं-

"But abuse and scorn continue to be heaped at the Ministry in public statements made by the Chairman who stoops so low as to describe us as 'cartoons sitting in one room of Shastri Bhavan'."

यह मणिशंकर अय्यर जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा।... (व्यवधान) हमने उनको स्वच्छंद छोड़ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई फैसला नहीं किया, तो मणिशंकर अय्यर जी की क्या मज़ाल थी कि वे इसमें पड़ते तो उन्होंने एपैक्स कमिटी को ऑपरेशनलाइज़ नहीं किया। उसके बाद भी सुरेश कलमाड़ी जी मणिशंकर अय्यर जी को कहते हैं- "He is a cartoon." एक कार्टून है जो कि शास्त्री भवन के एक कमरे में बैठते हैं, उसके बाद वे कह रहे हैं।

He is referring to Kalmadi's functioning as virtual dictatorial functioning of the Chairman. यह वर्ष 2007 की बात है। Without making any reference to the Ministry... वे आगे कह रहे हैं कि "If I may mix metaphors, the Chairman sees the Ministry as a milch cow..."... मैं अंग्रेजी ठीक बोल रहा हूँ न! "The Chairman sees the Ministry as a milch cow (दुधारू गाय) to extract as much money as he can, and a rubber stamp to endorse every spending decision he takes, however, outrageous." उनका फैसला चाहे कितना भी गलत, भयानक क्यों न हो, वह यही समझते हैं कि मिनिस्ट्री सिर्फ इसलिए बैठी है कि उनके हर इस प्रकार के फैसले पर खड़ स्टाम्प की तरह मुहर लगाए। अब उसके बाद उन्होंने कई सारे सुझाव इस विद्दी में दिए और यह कहा कि वर्ष 1982 में एशियन गेम्स हुए थे। सभापति महोदय, यह विद्दी दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 की है। इसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि जो एशियन गेम्स वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए थे, उस समय क्या व्यवस्था बनी थी और उस समय उन्होंने लिखा है कि एक बैंक बेन्चर एम.पी. थे, जिनका नाम था श्री राजीव गांधी। उनको अधिकार दिया गया। उस समय श्री बूटा सिंह अध्यक्ष थे, लेकिन अधिकार दिया गया श्री राजीव गांधी को और उन्होंने वर्ष 1982 एशियन गेम्स को एक शानदार सफलता के रूप में कंडक्ट किया। यह उन्होंने कहा और अब इन्होंने वर्ष 2007 में यह कहा कि इसी तरह का इन्तज़ाम हम लोगों को इस गेम्स के लिए भी करना चाहिए। पर, इस विद्दी का क्या हुआ? क्या रिस्पॉन्स हुआ? क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं।

अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हाल में एक खबर छपी। आज श्री मनीष तिवारी जी "द हिंदू" नामक अखबार का जिक्र कर रहे थे। यह दिनांक 05 जुलाई, 2011 का "टाइम्स ऑफ इंडिया" है। इसमें श्री मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान छपा है। वे क्यों बयान देने के लिए बाध्य हुए? वे बयान देने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पांच पत्रकारों से मिलते हुए, उन्होंने पत्रकारिता से पांच पांडव सेलेक्ट किया, और उन पांचों से मिलते हुए उन्होंने कहा कि हां, शायद श्री मणिशंकर अय्यर ने हमें कुछ पत्र भेजे थे। लेकिन, उनका एतराज़ आइडियोलॉजिकल था। वे चाहते ही नहीं थे कि राष्ट्रमंडल खेल इस देश में हों। श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा और मैंने पहलकर सुनाया कि मेरा एतराज़ आइडियोलॉजिकल नहीं था। मैंने स्पेसिफिक इंस्टंसेज़ प्रधानमंत्री के ध्यान में लाए थे कि कहां-कहां भयंकर गड़बड़ी हो रही है। कैसे श्री सुरेश कलमाड़ी डिवटेटोरियल ढंग से फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं से रितीफ नहीं मिला और उन्होंने कहा कि This is very, very telling. मेरे पास लिस्ट है जो उस समय मंत्री बने थे और एक श्री सुनील दत्त जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद यह ज्ञात होता है। श्री सुनील दत्त जी दिनांक 23.05.2004 से 25.05.2005 तक मंत्री रहे। फिर उनका निधन हो गया। From May, 2005 to January, 2006, this Ministry was with the Prime Minister of India directly. It was directly with the Prime Minister of India. उसके बाद श्री मणिशंकर अय्यर दिनांक 29.01.2006 को मंत्री बने। जब वे बहुत इन्कंवेनिएंट होने लगे तो दिनांक 06.04.2008 को उनको हटा दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय में इन्कंवेनिएंट हुए तो उन्हें वहां से हटाया गया। उसके बाद जब यहां इन्कंवेनिएंट होने लगे, तकलीफ देने लगे तो यहां से हटाया गया और उसके बाद श्री एम. एस. गिल आए और अभी हमारे नौजवान दोस्त श्री अजय माकन हैं।

अब श्री मणिशंकर अय्यर इस वक्तव्य में क्या कह रहे हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा।

I am quoting because this is under quote.

"The first person to tip me off on impending problem was my immediate predecessor, Shri Prithvi Raj Chavan, then holding additional charge of Sports"

जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री थे और अब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं।

"He sought me out in Central Hall to warn me that huge sums of money were being spent on CWG without proper sanction or authorisation. So, ironically enough, it was PMO that tipped me off to Kalmadi's improprieties, not I who first informed PMO on transgressions of financial prudence."

इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के मंत्री को सब पता था, सारी बातें पता थीं और उसके बाद भी वे स्वामोश रहे। उन्होंने बहुत गहलत महसूस की, जब श्री मणिशंकर अय्यर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने तो कहा कि श्री कलमाड़ी बहुत गड़बड़ आदमी है, भयानक गड़बड़ी कर रहा है, तुम सावधान रहना।... (व्यवधान) उसके बाद वे क्या कहते हैं - फाइनेंशियल अरेजमेंट्स। वे ये कह रहे हैं कि एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में

"My worst moment came when the Additional Secretary (Expenditure) in the Ministry of Finance informed the GoM that Government Financial Rules prohibited the Sports Ministry from releasing the second instalment of Organising Committee grant until the Organising Committee had provided the Utilization Certificate showing 60 per cent of expenditure of the first instalment and examining the conformity of expenditure to purposes for which the grant was made."

मतलब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का कम से कम 60 प्रतिशत का युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेशन दीजिए, उसके बाद आपको सैंकंड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। ये सब जानते हैं, जो सरकार में काम कर चुके हैं कि सरकारी जो नियम हैं, वे यही हैं। उसके बाद उनका क्या कहना है कि जो एडीशनल सैंक्रेट्री एक्सपेंडीचर थे, उन्होंने इस बात को कहा, ध्यान में लाया।

Then he goes on to say, "FM!;" एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैं।

"Finance Minister arrived late in the meeting after his Additional Secretary had endorsed my stand,". That means, Shri Mani Shankar Aiyar's stand. "On being told of this, FM overruled his Additional Secretary, and I, Mani Shankar Aiyar, was instructed to release the second instalment even before receiving and examining the Utilisation Certificate."

अब सब लोग कह रहे हैं कि एक कोई घोटाला हुआ, खाली घोटाला ही घोटाला है।

The FM obviously was the present Home Minister. श्री मणिशंकर अय्यर ने यह नाम दिया है। Shri Chidambaram walked into the meeting, overruled his Additional Secretary (Expenditure) and told Shri Mani Shankar Aiyar to release the money. ...(*Interruptions*)

Then, Shri Mani Shankar Aiyar says, "I wrote to the Finance Minister requesting if Government Financial Rules were not to be observed, perhaps, it would be best for the Finance Ministry to effect releases themselves instead of burdening the Sports Ministry".

उन्होंने कहा कि तुम सीधे रिलीज़ करो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जरूरे रिलीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके मंत्री ने, उस समय के खेल मंत्री ने अभी बयान दिया। यह बयान किसी बी.जे.पी. नेता का नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी दूसरे सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उस समय वे स्पोर्ट्स के मंत्री थे। उन्होंने अपनी व्यथा इन विद्ध्यों में और इस बयान में लिखी है।

अब हम यह कहें कि कहां-कहां घपला हुआ, खाली घपला ही हुआ। हमारे नौजवान दोस्त, छोटे भाई अजय माकन जी कुछ दिनों तक हमारे अपने राज्य झारखण्ड के अपनी पार्टी के प्रभारी रहे। जब ये रांची जाते थे, झारखण्ड जाते थे, इनका बड़ा स्वागत होता था। उस समय श्री मधु कौड़ा मुख्यमंत्री थे, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन रांची की जेल में हैं...(*व्यवधान*)

कुछ माननीय सदस्य: नहीं हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री मधु कौड़ा बैठे हैं। जब माकन जी रांची जाते थे तो हम लोग तो विरोधी दल में थे, हम लोगों का हौसला भी बड़ा बुलन्द होता था। क्योंकि, ये जाते थे तो बड़ा कड़ा बयान देते थे। मधु कौड़ा सावधान हो जाओ, नहीं तो तुमको हम लोग हटा देंगे, समर्थन वापस कर लेंगे। फिर हम लोग इन्तजार करते थे कि 15 जनवरी तक होगा, 20 जनवरी तक होगा, जो डैडलाइन देकर गये थे, उस समय इनको हटा देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। दिन आये, दिन गुजर गये, डैडलाइन आई, गुजर गई-मधु कौड़ा बने रहे, बने रहे। बेचारे मधु कौड़ा क्या करते थे, जब-जब ये उनको चेतावनी देकर आते थे, (*Interruptions*) *â€*!

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): सिन्हा जी, आपको यह शोभा नहीं देता...(*व्यवधान*)

श्री मधु कौड़ा (सिंहभूम): सभापति महोदय, अभी मेरा नाम लिया गया है...(*व्यवधान*)

MR. CHAIRMAN: I will go through the record myself. If there is anything objectionable, I will delete it.

...(*Interruptions*)

श्री मधु कौड़ा : सभापति महोदय, मेरा नाम लिया गया है, मुझे बोलने का मौका दिया जाये। ...(*व्यवधान*) सभापति महोदय, इनको बताना चाहिए, जब इस सदन में यशवंत सिन्हा जी ने मेरा नाम लिया है तो इनको सदन को बताना चाहिए, ये किस...(*व्यवधान*)

15.58 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

बाबूलाल मरांडी जी को किन परिस्थितियों में हटाया गया, यह भी बता दिया जाये और यह भी बताया जाये कि अभी-अभी झारखण्ड में...(*व्यवधान*) शिवू सौरन को कैसे बनाया गया?

श्री अजय माकन: इस मामले से इनका कोई लेना-देना नहीं है तो ये किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय: अगर कोई बात आपत्तिजनक होगी तो निकाल दी जायेगी। जो आपत्तिजनक बातें हैं, वे निकाल दी जाएंगी।

â€! (*व्यवधान*)

श्री अजय माकन: नहीं, यह कैसे होगा? ये माफी मांगें। हम ऐसे नहीं मानेंगे। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : अगुवाल जी, बैठें।

श्री अजय माकन: ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आपत्तिजनक शब्द डिलीट कर दिये गये हैं। आप बैठें।

श्री अजय माकन: ये किसी मੈम्बर के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं...(*व्यवधान*)

श्री मधु कौड़ा : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाये, चूंकि मेरा नाम लिया गया है।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मधु कौड़ा जी बोलना चाहते हैं, जिनका नाम लिया गया है, आप बोलिये।

â€! (*व्यवधान*)

सभापति महोदय : एक मिनट, वे बोलना चाहते हैं। आप बैठ जायें।

श्री मधु कोड़ा : सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे एक मिनट बोलना चाहते हैं।

वेऍ!(व्यवधान)

16.00 hrs.

सभापति महोदय: आप बोलिए।

वेऍ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : माननीय सदस्य को ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोलिए।

वेऍ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : मेरे ऊपर आरोप लगाने पर बोलने के पहले हाउस को आर्डर में लाया जाए। ...(व्यवधान) हाउस को आर्डर में लाया जाए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा।
...(व्यवधान)

श्री शशीकुंदीन शारिक (बारामुला): मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

वेऍ!(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Under what rule?

श्री शशीकुंदीन शारिक : आप इनकी बात सुनें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) वेऍ!*

सभापति महोदय : कोई चीज रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) वेऍ! *

श्री मधु कोड़ा:...(व्यवधान) *वेऍ! लेकर दिल्ली आते थे, ...(व्यवधान) * तो इनकी बात सुनिए तो सही किसको दी इन्होंने ...(व्यवधान) अगर सिन्हा साहब को मालूम है कि दिल्ली में वेऍ!, ... (व्यवधान) *...(व्यवधान) *वेऍ! कहाँ गयी? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मधु कोड़ा जी, आप बोलिए, किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, सिर्फ मधु कोड़ा जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

वेऍ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : महोदय, अभी-अभी माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। मधु कोड़ा जी बोल रहे हैं।

वेऍ!(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनका नाम लिया गया है, वह बोल रहे हैं।

वेऍ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा जी ने जो आरोप लगाए होंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनका नाम लिया गया है, उनको बोलने दें।

वेऍ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : मुझे कुछ छिपा हुआ नहीं है, चूंकि मैं उनके साथ भी रहा हूँ और उन्होंने भी मेरे समर्थन से वहां पर सरकार चलायी है, ...(व्यवधान) इसलिए मैं उन लोगों की बातें जानता हूँ।...(व्यवधान) सभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य सिन्हा जी ने जो आरोप लगाए हैं ...(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए मौका दिया जाए। ...(व्यवधान) यह सरकार तो बंधी हुयी है। ...(व्यवधान) इन लोगों ने जिस वजह से झारखंड में लोगों को ...(व्यवधान)

महोदय, ये मुझे बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहते हैं, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आगे बोलिए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात हो गयी।

â€¦!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाए, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए।

â€¦!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : उन्होंने आरोप लगाया है। ...(व्यवधान) और मुझे बोलने के लिए अवसर दिया जाए। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हम यह कह रहे थे कि ...(व्यवधान) यह बे-बुनियाद आरोप है, ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैंने क्या उनको कहा? ...(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : इनको यह बात बतानी चाहिए कि शिवू सोरेन के समर्थन में ...(व्यवधान) उनके बारे में क्यों नहीं बताते? ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : मैं तो यह कह रहा हूँ कि कटहल की थैली देकर ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मधु कोड़ा जी, आप बैठिए। आप बोल चुके हैं, अब बैठ जाइए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनका कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) â€¦!**

MR. CHAIRMAN: Everything will be deleted.

*(Interruptions) â€¦!**

श्री यशवंत सिन्हा : कहां मैंने कहा *(Interruptions) â€¦! **

सभापति महोदय : आप बोलिए, आगे बढ़ाइए।

â€¦!(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : मैं तो कहता था कि लीची की थैली भेजते थे, आम की थैली भेजते थे, कटहल की थैली भेजते थे। ...(व्यवधान) वह बड़ा होता चला गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप में करिए।

â€¦!(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार : इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। ...(व्यवधान) आप सीनियर मेंबर हैं। ...(व्यवधान) इस तरह की बात मत कहिए। ...(व्यवधान) यह गलत बात है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का मौका दे चुके हैं। आप बैठ जाइए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप करिए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिन्हा जी, समाप्त करिए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत हो जाइए।

â€¦!(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था ...(व्यवधान) कि कॉमन वेल्थ गेम्स का जो मुख्य मुद्दा है, वह है कॉमन वेल्थ गेम्स का ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको मौका मिलेगा, आप बैठ जाइए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ भी आब्जेक्शनबल है उसे डिलीट कर दिया जाएगा।

â€¦!(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): He should withdraw the allegations he has made. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : जो कुछ भी आब्जेक्शनबल है उसे डिलीट कर दिया जाएगा।

â€¦!(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हमने सुना। ...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के फंड का भयंकर घोटाला किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। ये खत्म कर रहे हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: He should withdraw the allegations he has made ...(*Interruptions*)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): इन्होंने जो इल्जाम लगाया है ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इनके समाप्त करने के बाद मंत्री जी को बोलने का मौका देंगे।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I am on a point of order. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: What is your point of order?

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप समाप्त करिए। इनके बोलने के बाद आप को बोलने का मौका देंगे।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : संक्षिप्त करिए।

â€¦!(व्यवधान)

सभापति महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइए।

â€¦!(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर किस रूल के तहत है, वह बताइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं रूल 352 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूँ।

Rule No. 352 (ii) states that :

"A Member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other Member â€¦"

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Sir, I have not finished. ...(*Interruptions*) Let me speak. ...(*Interruptions*) What is a personal allegation? ...(*Interruptions*) जो एलिगेशन सिन्हा जी ने लगाया है, वह गलत है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और सदन से माफी मांगनी चाहिए।

सभापति महोदय : उन्होंने कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप मुझे बोलने तो दीजिए।...(*व्यवधान*) There cannot be any personal allegation. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : ठीक है, बोलिए।

...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यशवंत सिन्हा जी ने यहां जो बात रखी है, वह एक एलिगेशन है। अगर मैं यह कहता हूँ कि जिस समय श्री यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे तब इनका पेट बहुत मोटा था, तो क्या यह मान जाएंगे।...(*व्यवधान*) वही बात है।...(*व्यवधान*) जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब आपका पेट भी मोटा था।...(*व्यवधान*) क्या यह सही है?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : जो कुछ मेरे सुनने में आया, उसमें कोई एलिगेशन नहीं था। अगर कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो वह रिकार्ड से निकाल दी जाएगी।

â€¦(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ।...(*व्यवधान*) मेरा कहना है कि कामनवैल्थ गेम्स में जो घपला हुआ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप सब बैठिए। बंसल जी बोलेंगे।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL):
Sir, sometimes it does happen that without intending to ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : मंत्री जी की बात के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(*व्यवधान*)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, sometimes, it does happen in life that without intending to cause any discomfort to anyone; to castigate anyone; to accuse anyone of anything, we do happen to say something that we do not really intend to say.

Sir, we have utmost regard for Mr. Yashwant Sinha, one of our seniormost Members of Parliament. I think we always have resolved issues amicably. There are occasions when different stands like this are taken. It would not really go against his seniority, his position in the Parliament, if he were to just say that this is a feeling which he regrets. There is nothing which is going to happen.

As such, the projected allegation, I would say, as it really comes out is that it is a serious aspersion on which, obviously,

the Members feel offended, something which we feel has no rationale or any basis.

Therefore, it is with utmost respect, I respect all our hon. Members, I would say that we have had enough of it, and we have to proceed forward. We are in the midst of a very serious discussion. Of course, sometimes, the tempers rise, the feelings flare, and words like that come out of us which we really do not intend to do. After a word is uttered, we do not have the control over the word. It really happens like that.

Therefore, with utmost respect, my request would be that it is not going to damage his position, it is not going to compromise his position, and it will only help in moving forward. On many, many occasions, such things were uttered. It happened in the other House even today on this debate only. It happened in the other House also. One hon. Member from the main Opposition Party said something and, after some time, he said that he would withdraw that word. It happened in the other House just an hour back. It does not really compromise with anyone's position. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : यशवंत सिन्हा जी, आप कह दीजिए कि मैंने कोई एलीगेशन नहीं लगाया है।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): सभापति महोदय, मैंने कोई एलीगेशन नहीं लगाया है ...(व्यवधान)

किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। ...(व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं कही है जो संसदीय परम्पराओं के खिलाफ हो। ...(व्यवधान) इसलिए मुझे लगता है कि इसमें वापस जाने की बात का कोई सवाल ही नहीं है। ...(व्यवधान) I will not do that. If they think that I am going to apologize for it, it is not going to happen. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : किसी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

... (व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये।

ॐॐ!(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये। वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

ॐॐ!(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अपनी बात को संक्षिप्त करने जा रहे हैं।

ॐॐ!(व्यवधान)

सभापति महोदय : सिन्हा जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : सभापति महोदय, यशवंत सिन्हा जी माफ़ी मांगे या अपना बयान वापस लें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने अपनी रुलिंग दे दी है।

ॐॐ!(व्यवधान)

श्री मधु कोड़ा : सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाये।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 5 p.m.

16.19 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Seventeen of the Clock.

17.00 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Seventeen of the Clock.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

सभापति महोदया : श्री यशवंत सिन्हा जी कंटीन्यू करें।

वैद! (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मुझे बहुत दुःख के साथ एक बात कहनी है कि... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, हमारी बात भी सुनी जाए... (व्यवधान)

सभापति महोदया : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप दो मिनट के लिए बैठिए, मैं सभी को बोलने के लिए एलाऊ करूंगी। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदया, ... (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इनके बारे में ऐसा कहा है... (व्यवधान)

सभापति महोदया : मैंने रूलिंग दे दी है। आप दो मिनट रुकिए।

वैद! (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनिए... (व्यवधान)